न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
340/2025	12.06.2025	08-07.........2025

उनवान

1. श्री बंशी पुत्र श्री रामचन्द्र जाट, निवासी–मैन बाजार, रुपाहेली जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती आशा पुत्री श्री रामचन्द्र जाट, निवासी–मैन बाजार, रुपाहेली जिला भीलवाड़ा
3. श्री नारायण पुत्र श्री रामचन्द्र जाट, निवासी–मैन बाजार, रुपाहेली जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. मांगी पत्नि श्री रामचन्द्र जाट, निवासी–मैन बाजार, रुपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. श्री राजु पुत्र टीना, निवासी–मैन बाजार, रुपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. समता पुत्री श्री रामचन्द्र जाट, निवासी–मैन बाजार, रुपाहेली जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. सुमन पुत्री श्री भंवर लाल निवासी–मैन बाजार, रुपाहेली जिला भीलवाड़ा (राज.)

– **प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्री मनीष भदाला पुत्री श्याम लाल, निवासी– सांगानेरी गेट, सहिद चौक के पास भदाला मोहल्ला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) ।
2. श्री नारायण पुत्र रामेश्वर निवासी–रुपाहेली (दांथल) तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. श्री मांगी बाई पत्नि श्री रामचन्द्र जाट, निवासी रुपाहेली जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. श्री महादेव पुत्र श्री बख्तावर जाट, निवासी–रुपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. राजस्थान राज्य ज़रिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)

–– **विपक्षीगण**

उपस्थितः–

1. **अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री विरेन्द्र सिंह उपस्थित।**
2. **अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं**

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रूपाहेली पटवार हल्का क्षैत्र रूपाहेली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 648/2, रकबा 0.9990 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम रूपाहेली पटवार हल्का क्षैत्र रूपाहेली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 648/2 रकबा 0.9990 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 08-09-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा